एक आरोपी गांजे के साथ पकड़ा गया

श्रावस्ती। क्षेत्र भ्रमण के दौरान गिलौला पुलिस ने गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिलौला थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दूबे अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम के साथ रविवार को क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मनसुखा नहर पुलिया के पास से एक व्यक्ति के कब्जे से 615 ग्राम गांजा बरामद किया। बरामद गांजे को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान प्रदीप पाण्डेय पुत्र अदालत पाण्डेय निवासी मनसुखा के रूप में हुई। आरोपी के पर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।

चार गैंगस्टर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्रावस्ती। पुलिस ने चार गैंगस्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी गैंगस्टर को थाने लाकर जेल भेज दिया गया। आरोपी गिरोहबंदी कर गोवंश की हत्या के बाद उनका मांस बेचने का कारोबार करते थे।

गिलौला थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार दूबे पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने चार गैंगस्टर अपराधियों रौआब उर्फ दद्दन पुत्र असगर व आजम पुत्र छोटू उर्फ मोहम्मद युनुस निवासीगण अलीनगर, हजरत अली उर्फ बन्दर पुत्र ताजिब अली निवासी अलीनगर थाना गिलौला व मुस्तफा पुत्र इशहाक निवासी पैदमीपुरवा थाना इकौना को सिसवारा नदी घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को थाने लाकर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार रौआब उर्फ दद्दन एक शातिर किस्म का अपराधी है। जो एक संगठित गिरोह चलाता है। गिरोह के सक्रिय सदस्य आजम, हजरत व मुस्तफा हैं। यह भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए प्रतिबन्धित गोवंश की चोरी करके उनकी हत्या कर मांस को बेचने जैसा जघन्य अपराध करते रहे हैं। सभी पर जिले के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।

ऑपरेशन धरपकड़ में 35 वारंटी गिरफ्तार

श्रावस्ती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन धरपकड़ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस की ओर से 12 घंटे में कुल 35 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोतवाली भिनगा पुलिस ने नौ वारंटी, थाना इकौना पुलिस ने चार वारंटी, थाना मल्हीपुर पुलिस ने पांच वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना गिरंट पुलिस ने चार, थाना सिरसिया पुलिस ने दो वारंटी, थाना गिलौला पुलिस ने चार वारंटी, थाना सोनवा पुलिस ने छह वारंटी व थाना एनएमपीटी पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया। इन वारंटियों में छेड़ छाड़, दुष्कर्म, मार-पीट, आर्मस एक्ट, आबकारी, चोरी व वन अधिनियम जैसे मामलों के अपराधी शामिल रहे।